निर्णय ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 47/2023 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

हीरा पुत्र श्री भौरया, जाति गुर्जर निवासी नांगल तेज सिंह, तहसील आंधी, जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, पीठासीन अधिकारी श्री चिमनलाल मीणा RAS
2. जग्गा पुत्र भौरया
3. कमली देवी पत्नी कैलाश
4. सांवरमल पुत्र रमेश
5. रामकरण पुत्र रमेश
6. नाथी पुत्री रमेश
7. नाथू पुत्र रूघनाथ
8. भग्गू पुत्र नानगा

   समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम नांगल तेज सिंह, तहसील आंधी, जिला जयपुर।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जमवारामगढ, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र बाबत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 30/2012 ब उनवानी जग्गा व अन्य बनाम सरकार व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने बाबत।

उपस्थित:

1. श्री मुकेश कुमार शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. अप्रार्थी संख्या 2 स्वयं उपस्थित।

निर्णय दिनांक 27.06.2023

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर के समक्ष प्रकरण संख्या 30/2012 ब उनवानी जग्गा व अन्य बनाम सरकार व अन्य दर्ज होकर विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त होने में शंका जाहिर कर प्रार्थी ने उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया है।
2. मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 स्वयं उपस्थित है। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई किन्तु प्राप्त नहीं हुई।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

4. प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 30/2012 व उनवानी जग्गा व अन्य बनाम सरकार व अन्य विचाराधीन है। उक्त प्रकरण में दिनांक 20.04.2018 को आदेश 6 नियम 17 का एक प्रार्थना पत्र पेश किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना बहस सुने ही दिनांक 20.04.2018 को संशोधित उनवान स्वीकार कर लिया। जिसके विरूद्ध प्रतिवादी ने दिनांक 20.02.2023 को आपत्ति की आदेश 6 नियम 17 दिनांक 20.04.2018 से पेंडिंग है। जिसका निस्तारण करने के पश्चात ही संशोधित टाईटल लिया जा सकता है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय विधि के प्रावधानो की अनदेखी कर बिना बहस सुने ही संशोधित उनवान स्वीकार कर लिया। पीठासीन अधिकारी प्रकरण में आवश्यक रूची लेते हुये छोटी–छोटी तारीख पेशी नियत कर रहे है तथा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये ही प्रकरण का निस्तारण करने पर आमादा हो रहे है। प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय से विधिक प्रक्रिया अनुसार निर्णय करने हेतु कहा तो पीठासीन अधिकारी ने कहा की मेरे उपर दबाव है मैं उक्त प्रकरण का शीघ्र निस्तारण तुम्हारे विरूद्ध करके रहूँगा। हाल ही में अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा प्रार्थी को धमकी दी गई कि उक्त प्रकरण का निस्तारण मेरे पक्ष में होगा तुम्हे जो कुछ करना हो वह कर लेना क्योंकि पीठासीन अधिकारी से मेरी बात हो गई है। अप्रार्थी संख्या 2 की उक्त हरकतो को देख कर प्रार्थी आश्चर्यचकित हो गये। जब अप्रार्थी संख्या 2 अप्रार्थी संख्या 1 से मिल गया है तो फिर प्रार्थी को न्याय प्राप्ति की कोई उम्मीद नहीं रही है। ऐसी स्थिति में प्रकरण को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः उक्त प्रकरण को किसी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने के आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी संख्या 2 ने कथन किया कि अगर प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय से न्याय प्राप्त होने में आशंका है तो प्रकरण को किसी भी सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित कर दिया जावे।

6. उभय पक्ष को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. प्रार्थी ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर के पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने पर शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र स्थानान्तरण किये जाने का अनुरोध किया है। न्याय का नैसर्गिक सिद्वान्त है कि न्याय किया जाना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि न्याय किया गया है, ऐसा लगना भी चाहिये। न्याय की इसी भावना को मध्यनजर रखकर मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत है। अप्रार्थी संख्या 2 भी उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने पर सहमत है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

8. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 30/2012 व उनवानी जग्गा व अन्य बनाम सरकार व अन्य को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी प्रथम जयपुर को स्थानान्तरित किया जाता है।

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

9. उपखण्ड अधिकारी प्रथम जयपुर को निर्देशित किया जाता है कि उभय पक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण का मैरिट पर निस्तारण करना सुनिश्चित करे।

10. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर एवं उपखण्ड अधिकारी प्रथम जयपुर को प्रेषित हो। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

11. निर्णय आज दिनांक 27.06.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)

Scanned with OKEN Scanner